

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृत्ति आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं को अधिवार्षिक की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से राजकारी सेवा से कॉलम संख्या-6 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

नाम	व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राजमावि/राजउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	नारायण लाल थाकड़, ब्या0 राजउमावि सरदारशहर-चूरु	इतिहास	04.09.1957	30.09.2017
2	शायमलराम चौधरी, ब्या0 राजमावि बायतु-बाडमेर	वाणिज्य	17.09.1957	30.09.2017
3	गुलाब सिंह गिल, ब्या0 राजमावि कोटा-श्रीगंगानगर	इतिहास	15.06.1958	31.01.2018

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(N) 
(नथमल डिडेल)


आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-मा/सरथा/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/2017

दिनांक- 27.10.2017

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- संयुक्त उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- संयुक्त जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- संयुक्त प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र --6 प्राप्त कर अंतिम अर्ह्य प्रमाण पत्र जारी करें।
- संबंधित प्राध्यापक।
- सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को इन्टरनेट पर प्रकाशनार्थ
- संयुक्त पत्रावली।


(संयुक्त निदेशक(कार्मिक))

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रपत्र-6

निम्नलिखित प्राध्यापको को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	गुलाम मोहम्मद बागवान राआउमावि पालडी, आसीन्द, भीलवाडा	भूगोल	04.02.58	28.02.2018
2	श्री चूनाराम विश्णोई राउमावि कोजा, धोरीमन्ना, बाडमेर	अर्थशास्त्र	12.08.57	31.08.17

यह प्रमाणिक क्रिया जाता है कि उपर नामित कार्मिको के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 27/10/17

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/सेवानिवृत्त/2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक, अजमेर, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, भीलवाडा, बाडमेर
3. संबंधित प्रधानाचार्य
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर